

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मध्य इतिहास/वर्क जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

2/1/22

पत्रावली पेश।

The petitioner has prayed for injunction under section 212.

The petitioner in his application has mentioned that he is 1/5th owner of khasra No. 107, 528, 519, 520, 525. He has mentioned that son of Respondent 1 & 2 and brother of Respondent 3, Ishwar had died on 22-11-2022 in an accident for which Respondents blame the petitioner & has not allowed him to use his land.

अप्राथी की तरफ से जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जासाबंदी में प्लस नं. 107, 523, 519, 520, 525 में गोपाल पुत्र शंकर का 1/5 का हिस्सा है।

न्यायालय ने यह देखा कि प्रकरण में अगर T.I नहीं दी जाती तो वादी की अपूर्ण शक्ति की सम्भावना नहीं है।

अप्राथी की सहमती के बिना ही जो भूमि का हस्तांतरण न तो विनाश किया जा सकता है।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
आ
हुव

इसलिए वक्त में T.I देना
उचित प्रतीत नहीं होता है।
निर्णय आज 12/1/26 को सुनाया
गया।
धरमल गुमाड दीकर कायल
दीकर दी

Che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी